निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 69/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बाबू लाल पुत्र रामू लाल जाति मीना निवासी ग्राम बस्सी, झूंथालाल सरपंच की ढाणी, बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामकुंवार वर्मा आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर ।
2. देवी सहाय पुत्र स्व॰ श्री गोविन्द नारायण
3. भीमराज पुत्र स्व॰ श्री गोविन्द नारायण
4. श्रीमती सेडी देवी पत्नी स्व॰ श्री गोविन्द नारायण

समस्त जाति मीना ग्राम बस्सी, झूंथालाल सरपंच की ढाणी, बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण/वादीगण

5. बद्रीनारायण पुत्र रामूलाल जाति मीना निवासी ए–27, अर्जुन नगर, टौक फाटक, जयपुर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर ।
7. उप पंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

औपचारिक अप्रार्थीगण /प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 57/2014 ब उनवानी देवी सहाय व अन्य बनाम बद्रीनारायण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री पी॰के॰ मीना अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 01.12.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 57/2014 ब उनवानी देवी सहाय व अन्य बनाम बद्रीनारायण व अन्य विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 08.09.2020 को अप्रार्थी/वादी देवी सहाय ने ग्राम बस्सी झूंथालाल सरपंच की ढाणी तहसील बस्सी जिला जयपुर में

जिला कलक्टर
जयपुर

सार्वजनिक गुवाड में कई लोगों को कहा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी श्री राम कुंवार वर्मा आर ए एस हमारे वकील साहब के परम मित्र है जो शाम को हमारे वकील साहब के साथ होटलों में खाना पीना करते है। हमारे वकील साहब ने हमारे केस में पीठासीन अधिकारी से सैटिंग कर ली है। इसलिए कोविड होते हुए भी पीठासीन अधिकारी हमारे केस में विशेष रूची लेते हुए छोटी– छोटी पेशिया दे रहे है। कोविड में पीठासीन अधिकारी हमारे केस में प्रभावी सुनवाई कर रहे है और जल्द से जल्द हमारे पक्ष में फैसला करने वाले है । मै जब भी पेशी पर उपस्थित होता हूँ तो हमारे वकील साहब लन्च में पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाकर चाय नाश्ता करते है और मुझे अपने साथ पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में ले जाते है और स्वयं भी पीठासीन अधिकारी के साथ कुर्सी पर बैठ कर चाय नाश्ता करते है। पीठासीन अधिकारी ने मुझे हमारे पक्ष में जल्द से जल्द फैसला करने का आश्वासन दे दिया है। अप्रार्थी/वादी देवीसहाय द्वारा गांव के सार्वजनिक गुवाड में लोगो को बताई गई उक्त बात सुन कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया। दिनांक 27.08.2020 को प्रार्थी पेशी पर उपस्थित होने के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में गया और लन्च समय में देखा कि अप्रार्थी/वादी देवीसहाय अपने वकील साहब के साथ पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में गये और चपरासी चाय नाश्ता लेकर आये और अप्रार्थी/वादी देवी सहाय अपने वकील साहब के साथ पीठासीन अधिकारी के ठीक सामने कुर्सी पर बैठ कर चाय नाश्ता कर रहे थे। तब प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गय कि पीठासीन अधिकारी ने अप्रार्थी/वादी देवीसहाय से वगैरह से सैटिंग कर रखी है। इस कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण को उक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई आशा नही रही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में कोविड होते हुए भी छोटी पेशियां दी जा रही है। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 20.03.2020, 07.04.2020, 26.6.2020, 14.08.2020, 17.08.2020, 27.08.2020, 03.09.2020, 05.9.2020, 08.9.2020, व 21.09.2020 नियत की गई। कोविड में भी विशेष रूची लेकर शीघ्र सुनवाई की जा रही है। दिनांक 17.08.2020 को वकील वादी द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र, दस्तोवज पेश किया गया। दिनांक 27.08.2020 को एक और साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किया गया । उपरोक्त वर्णित आदेशिकाओं के आधार पर भी प्रार्थी को यह विश्वास हो गया कि वास्तव में अप्रार्थी/वादी देवीसहाय द्वारा गांव के सार्वजनिक चौक (गुवाड) में लोगों को कही गई बात सही है। पीठासीन अधिकारी व वादी रामसहाय के मध्य सैटिंग हो चुकी है। और शीघ्रातिशीघ्र वादी के पक्ष में फैसला करने पर उतारू है, जो उपरोक्त वर्णित परिस्थितियो (सरकमटान्सेज) से पुख्ता रूप से प्रमाणित है। उक्त परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में दिनांक 3.11.2020 को जनरल तारीख पेशी दिनांक 15.12.2020 दी गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता वीरेन्द्र श्री सिंह शेखावत द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित को नोटिस

जारी किये जाकर पत्रावली आज नियत की गई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया। न्यायहित में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभाति अवलोकन किया गया।

4. उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण वर्ष 2014 से लम्बित है और प्रार्थी द्वारा मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र में अंकित की गई सुनवाई की तारीखें 20.03.2020, 27.04.2020, 26.06.2020, 14.08.2020 एक माह से अधिक की दी गई है। इसलिए नजदीकी तारीख दी जाकर सुनवाई किये जाने के प्रार्थी के कथन को बल नही मिलतां है। उभय पक्ष अधिवक्ता की दलीलें सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

5. उपखण्ड अधिकारी बस्सी उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

6. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

7. निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

1/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर